

पत्रांक:- 358/25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0से0)/2018-19  
सेवा में,

दिनांक:- 06.08.2018

मुख्य अभियन्ता,  
क्षेत्रीय/ए0डी0बी0 कार्यालय लो0नि0वि0,  
नई टिहरी/पौड़ी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/हल्द्वानी/देहरादून।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-5054 (पूँजीगत) सड़क/भवन एवं सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन तथा क्षति प्रतिकर भुगतान हेतु आवंटन।

सन्दर्भ: शासनादेश संख्या-1502/111 (2)/18-02 (बजट)/2018 दिनांक-09.04.2018

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-505404337040024 (पूँजीगत) सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मद में ₹ 30.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा फील्ड अधिकारियों से प्राप्त विभिन्न प्रकरणों में भू-अर्जन, भूमि प्रतिकर भुगतान तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान हेतु सूचित धनावंटन की माँग के कम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार (22 प्रकरण) कुल ₹ 3.3579042 करोड़ (₹ तीन करोड़ पैंतीस लाख उन्नासी हजार बयालीस मात्र) की धनराशि निम्नवर्णित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्तें (1) संलग्न सूचीनुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा प्रतिकर/मुआवजे/फल/फलदार वृक्षों की क्षतिप्रतिकर का भुगतान जिलाधिकारी/उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सम्बन्धित पक्षों को दिनांक 28.02.2019 से पूर्व नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित भू-अर्जन/भूमि प्रतिकर/क्षति प्रतिकर धनराशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों के पक्ष में नियमानुसार एवं अविलम्ब न किये जाने तथा आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों को विलम्ब से किये जाने के फलस्वरूप यदि सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों द्वारा संशोधित दरों अर्थात् बढ़ी हुई दरों के आधार पर प्रतिकर भुगतान की जाती है तो संशोधित वृद्धि हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णतः उत्तरदायी माने जायेंगे, तथा अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अनुमोदित सम्मिलित काश्तकारों को उनके नाम के सम्मुख देय भूमि प्रतिकर धनराशि का भुगतान आवश्यक जाँच-परीक्षण एवं सत्यापन के उपरान्त ही नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवंटित धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित कार्यों/मार्गों के मूल आगणन में सम्मिलित नहीं था और न ही उक्त प्रतिकर भुगतान हेतु किसी अन्य योजना/मद में सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान के लिये वित्तीय उपलब्धता थी।

(4) आवंटित धनराशि का निर्धारित समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने, धनराशि लैप्स किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान, दरों से अधिक भुगतान तथा नियमविरुद्ध किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

(5) संलग्न सूचीनुसार वर्णित कार्य वर्तमान में किन्ही कारणों से अन्यत्र खण्ड में हस्तान्तरित हो गये हो अथवा इन कार्यों में प्रतिकर का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हो तो आवंटित धनराशि पूर्ण विवरण सहित एक सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दी जाय, ताकि यह धनराशि सम्बन्धित खण्ड अथवा अन्य प्रकरणों में आवंटित की जा सके।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(7) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न: कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/नई टिहरी/चमोली/पौड़ी/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/नैनीताल/देहरादून।
- 4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून। साख-सीमा जारी करने हेतु।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता सिविल/ए0डी0बी0 वृत्त लोक निर्माण विभाग .....
- 6- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, (नोडल, वनभूमि प्रकरण/भूमि अध्याप्ति) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/ए0डी0बी0 खण्ड लोक निर्माण विभाग .....
- 8- आई0टी0 सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन बेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्न: कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

2.8.2018

1.T  
upload करें.

016

14.8.18

(देवेन्द्र शाह)

अधिशासी अभियन्ता

पत्र संख्या 358 /25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0से0)/2018-19 दिनांक 06/08/2018 का संलग्नक।  
 वित्तीय वर्ष 2018-19 में सड़कों तथा सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु आवंटन।

अनुदान संख्या- 22,

लेखाशीर्षक 5054-04-337-04-00-24 (पूँजीगत)

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र०सं	मार्ग/प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन/स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन
0	2	3	4	5	6
1	जनपद उत्तरकाशी में कल्याणी-हरेती मोटर मार्ग के किमी0 3 में पहाड़ कटान से क्षतिग्रस्त श्री बलबीर सिंह राणा के हौज का प्रतिकर भुगतान।	प्रा0ख0 उत्तरकाशी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 1560 याता/84 सी0-06/2015-16 दि0 30.06.2018	0.75	0.75
	<b>योग, प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी</b>			<b>0.75</b>	<b>0.75</b>
2	जनपद उत्तरकाशी में कोटधार-मुसोगी मोटर मार्ग में विगत वर्ष के दौरान अवितरित प्रतिकर का भुगतान।	नि0ख0 चिन्यालीसौड़	अधिशायी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी) का पत्र संख्या 820/2 एल.ए. दिनांक 28.06.2018	5.82	5.82
3	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में बनचौरा-मुसोगी मोटर मार्ग का नवनिर्माण (30 मी0 स्पान सेतु सहित) के समरेखण में भवन एवं छानियों का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 चिन्यालीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 2216 याता/90 मवन-6/2015-16 दि0 30.06.2018	8.31	8.31
4	जनपद उत्तरकाशी में इन्द्रा टिपरी मोटर मार्ग के मोल्टी बैंड से इन्द्रागांव मोटर मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त छान का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 चिन्यालीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 1867 याता/90 सी-6/2015-16 दि0 30.06.2018	0.52	0.52
5	जनपद उत्तरकाशी में मरगांव-जसपुर-चमियारी से उलण मोटर मार्ग के निर्माण कार्य से ग्राम सभा चमियारी के पीपलखण्ड में क्षतिग्रस्त गौशाला/भवन का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 चिन्यालीसौड़	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 1291 याता/986सी-6/2015-16 दि0 30.06.2018	0.97	0.97
	<b>योग, निर्माण खण्ड चिन्यालीसौड़</b>			<b>15.62000</b>	<b>15.62000</b>
6	जनपद उत्तरकाशी में मुस्टिकसौड़-कुरोली मोटर मार्ग के किमी0 1 कास सेक्सन 0/18 में श्री गंगासिंह के गोशाला का प्रतिकर भुगतान।	प्रा0ख0 भट्वाड़ी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 2055 याता0/97 सी0-06/2016 दि0 30.06.2018	1.68	1.68
7	जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सौरा-सारी मोटर मार्ग निर्माण में विगत वर्ष के दौरान अवितरित भूमि प्रतिकर का भुगतान।	प्रा0ख0 भट्वाड़ी	अधिशायी अभियन्ता, प्रा0ख0 लो0नि0वि0 भट्वाड़ी का पत्र संख्या 1198/3 भू0अ0 दि0 19.07.2018	0.41987	0.41987
	<b>योग, प्रान्तीय खण्ड भट्वाड़ी</b>			<b>2.09987</b>	<b>2.09987</b>
8	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में राज्य योजना के अन्तर्गत देवरा हल्डाड़ी मोटर मार्ग किमी0 1 से 5 तक निर्माण में पूर्व में छूटी एवं भू: धंसाव से अतिरिक्त क्षतिग्रस्त भूमि एवं वृक्षों का पतिकर भुगतान।	नि0ख0 पुरोला	अधीक्षण अभियन्ता, छठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 2365/86 सी0-06/2018 दि0 08.06.2018	5.41207	5.41207
	<b>योग, निर्माण खण्ड पुरोला</b>			<b>5.41207</b>	<b>5.41207</b>
9	कुथनौर-हलना मोटर मार्ग में विगत वर्ष के दौरान अवितरित भूमि प्रतिकर का भुगतान।	नि0ख0 बड़कोट	अधिशायी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 बड़कोट का पत्र संख्या 1147/1भू0अ0 दिनांक 09.07.2018	69.97	69.97
	<b>योग, निर्माण खण्ड बड़कोट</b>			<b>69.97</b>	<b>69.97</b>
10	जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जाखणीखाल-बरील-शिवाली मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य, किमी0 8 से प्रभावित भूमि का भूमि अध्याप्ति भुगतान।	प्रा0ख0 नई टिहरी	अधीक्षण अभियन्ता, आठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 3062/161(1)सी0-8/2016 दि0 21.06.2018	10.03	10.03
11	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में पीपलडाली-सिलोली मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य का प्रतिकर भुगतान।	प्रा0ख0 नई टिहरी		16.62	16.62
	<b>योग, प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी</b>			<b>26.65</b>	<b>26.65</b>
12	जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत ससमण कौड़ियाला मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6 किमी0) से क्षतिग्रस्त खेतों के दबान का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 नरेन्द्रनगर	अधीक्षण अभियन्ता, आठवाँ वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 3479/161(3)/2018 दि0 26.06.2018	0.99701	0.99701
	<b>योग, निर्माण खण्ड नरेन्द्रनगर</b>			<b>0.99701</b>	<b>0.99701</b>
13	वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पौड़ी के अन्तर्गत निम्नवर्णित 04 मोटर मार्गों में अवितरित प्रतिकर का भुगतान। (1) जनपद पौड़ी गढ़वाल में संगलाकोटी-बैडगांव मोटर मार्ग। (2) जनपद पौड़ी गढ़वाल में देवराड़ी देवी से सेडियाखाल तक मोटर मार्ग। (3) जनपद पौड़ी गढ़वाल में सतपुली पोखड़ा से जूनीसेरा-बासई तक मोटर मार्ग। (4) जनपद पौड़ी गढ़वाल में पोखरीखेत-पालकोट-गडरिया एवं सीकू-कण्डेरी मोटर मार्ग।	नि0ख0 पौड़ी	अधीक्षण अभियन्ता, बारहवाँ वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी का पत्र संख्या 1339/7लेखा-12/13 दि0 15.05.2018	51.00	51.00
	<b>योग, निर्माण खण्ड पौड़ी</b>			<b>51.00</b>	<b>51.00</b>

